न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/95/2023	2023/411	26.07.2023	30.10.2025

1. रमेश चन्द पुत्र श्री भौरया जाति जाटव निवासी ग्राम झारेडा पुलिस थाना एम.आई.ए. अलवर।
——अपीलान्ट।

बनाम

1. भीकम पुत्र श्री भवानी सिंह जाति राजपूत ——मृतक।
2. लाखन सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह राजपूत,
निवासीयान ग्राम झारेडा तहसील व जिला अलवर राज0।

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 28.07.2020 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला, अलवर (राज0)।

उपस्थितः–

1. श्री प्रकाश चन्द सागर –वकील अपीलाण्ट
2. श्री अनिल नरूका –वकील रेस्पोडेण्ट

:: निर्णय ::–

वकील अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 28.07.2020 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी. एक्ट के विरूद्ध पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा तहत न्यायालय तहसीलदार अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सं. 1/18 दिनांक 23.03.2018 को अन्तर्गत धारा 183 बी, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि आराजी सं. 44 आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.19 है०, वाके ग्राम झारेडा तहसील अलवर व जिला अलवर राजस्थान में है, की जो आराजी इस प्रार्थना पत्र हाजा में विवादित है। उक्त आराजी मिन प्रार्थी की सालिम कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। हम प्रार्थी असूचित जाति के सदस्य है और वादग्रस्त आरजीयात के रिकोर्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान ने हम प्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजीयात पर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ हैं। प्रार्थी ने बार–बार अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान से वादग्रस्त आराजीयात पर से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाता रहा है। लेकिन अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान उक्त वादग्रस्त आराजीयात से अपना कब्जा नही हटाते है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान का उक्त वादग्रस्त आराजीयात से कोई वास्ता वो सरोकार नही है और ना ही अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान को उक्त वादग्रसत आराजीयात पर काबिज दाखिल रहने का कोई कानूनी अधिकार हासिल है। प्रार्थी गरीब अनुसूचित जाति का सदस्त है। प्रार्थी की उक्त आराजी को अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान द्वारा अपने कब्जे में लिये जाने से प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी की आराजी पर काश्त नही कर पा रहे है और अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान नाजायज तरीके से उक्त वादग्रस्त आराजी पर काश्त कर रहे है। हम प्रार्थी जब भी अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान को उक्त वादग्रस्त आराजी को खाली करने तथा अपना कब्जा हटाने के लिए कहते है तो अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान हमें डराते व धमकाते है तथा जान से मारने की धमकी देते हैं। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान जाति से राजपूत है कि जो बाहू बली वो धनबल शाली तथा राजनैतिक पहुंच वाले सख्स है। दिनांक 10.03.2018 को प्रार्थी ने अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान से अपनी विवादित खातेदारी की आराजी को खाली करने हेतू निवेदन

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

किया गया, की जिस पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान हमसे आमदा फिसाद हो गये तथा जान से मारने पर उतारू हो गये तथा ऐलानिया कहा कि प्रार्थी की जमीन को वह अपने कब्जे में रखेंगे तथा प्रार्थी की आराजी पर से कब्जा नहीं हटायेंगे। आस–पास के लोगो ने बीच बचाव कर हमें बचाया वरना अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान संगीन वारदात को अंजाम देते। जिससे प्रार्थी की खातेदारी की आराजी पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान को काबिज रहने का कोई कानूनी अधिकार हासिल नही है, की जिससे अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंटान को हमारी खातेदारी की आराजी से बेदखल कराया जाना न्याय संगत है। जिस प्रार्थना पत्र का निर्णय तहत न्यायालय अलवर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28.07.2020 को पारित करते हुए आदेश पारित किये गये कि वाके ग्राम झारेडा के आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.19 है०, प्रार्थी अपीलार्थी की खातेदारी भूमि से अप्रार्थीगण को बेदखल के साथ ही जितनी भूमि का अवैध बेचान हुआ है, पर धारा 175 आरटी एक्ट के तहत प्रस्ताव तैयार कर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अलवर भिजवाने हेतू राजस्व लिपिक को आदेश जारी किये गये। जिस विवादित आदेश में रेस्पोडेंटान व उनके द्वारा बेचान किये गये रकबे पर काबिज लोगो को बेदखल कर शास्ती व करावास की सजा से दण्डित नही किया गया। जो आदेश अपूर्ण होने के कारण अपीलार्थी उक्त विवादित आदेश तहत न्यायालय तहसीलदार अलवर दिनांक 28.07.2020 से व्यथित होकर यह अपील निम्न उजात के साथ पेश है। विवादित आदेश तहसीलदार अलवर का है जिससे अपील को सुनने का न्याय क्षेत्र न्यायालय हाजा को प्राप्त है।

विवादित आदेश दिनांक 28.07.2020 का है। चूंकि अपीलार्थी एक ग्रामीण भौला–भाला अनुसूचित जाति का किसान है। विवादित आदेश की नकल अपीलार्थी द्वारा दिनांक को प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से कानूनी सलाह प्राप्त की गई। जिस पर अधिवक्ता महोदय द्वारा अपील हेतू अपीलार्थी को सलाह दी गई। इस पर अपीलार्थी ने रूपये पैसे का इंतजाम कर लिखा पढी कराई जाकर यह अपील बिना देरी श्रीमान की सेवा में पेश की जा रही है फिर भी जो समय दिनांक 28.07.2020 से आज दिन तक व्यथित हुआ है वह काबिले कंडोन है। जिस हेतू पृथक से दफा 5 कानून मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पेश है।

तहत न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42–क, पर गौर नही किया, कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अंतरण अवैध व अमान्य है और ऐसे किसी भी अन्तरण को वैधता प्रदान नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेंटान ने विवादित आराजी को अपीलार्थी के पिता से जरिये इकरारनामा खरीद करना बताया है। अपीलार्थी के पिता द्वारा विवादित आराजी को रेस्पोडेंटान के पिता को बेचान या किसी प्रकार से अंतरण नही किया है और कोई बयनामा/अंतरण दस्तावेज उप पंजीयक से प्रमाणित तहत न्यायालय के समक्ष पेश नही किया है। जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी को रेस्पोडेंटान के पिता द्वारा अपीलार्थी के पिता से खरीद किया गया है। जिससे तहत न्यायालय द्वार रेस्पोडेंटान को अतिकमी घोषित कर रेस्पोडेंटान को अपीलार्थी अनुसूचित जाति की भूमि पर से बेदखल किये जाने व रेस्पोडेंटान द्वारा किये गये कच्चे पक्के निर्माण अतिक्रमण को मिसमार कराया जाकर रेस्पोडेंटान को कारावास व शास्ती सजा की सजा से दण्डित किया जाना चाहिए था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया। तहत न्यायालय ने अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 183–बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया है। लेकिन रेस्पोडेंटान को कारावास व शास्ती की सजा से दण्डित न करने में कानूनन भूल की है। जिससे विवादित आदेश काबिले अपास्त है।

विवादित आराजी आबादी क्षेत्र में नही है रेस्पोडेंटान द्वारा विवादित आराजी को आबादी भूमि होना दर्ज किया है। जो गलत है व निराधार है। रेस्पोडेंटान द्वारा विवादित आराजी पर अतिक्रमण कर कच्चा पक्का निर्माण किया है। विवादित आराजी कृषि भूमि है। मिन अपीलार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और विवादित आराजी मिन अपीलार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। विवादित अराजी से रेस्पोडेंटान गैरवास्ता शख्स है। इसलिए रेस्पोडेंटान को विवादित आराजी से बेदखल कर रेस्पोडेंटान द्वारा किये गये कच्चे पक्के निर्माण को मिसमार

30/09/25

कराया जाकर रेस्पोडेंटान को कारावास व शास्ती सजा से दण्डित किया जाना चाहिए था। लेकिन तहत न्यायालय द्वारा गौर नही किया गया। तहत न्यायालय का विवादित आदेश प्राकृतिक व न्यायिक सिद्धांत के विरूद्ध है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंटान को विवादित आराजी खसरा नम्बर 92 रकबा 0.19 है०, वाके ग्राम झारेडा तहसील अलवर जिला अलवर से बेदखल कराया जाकर रेस्पोडेंटान द्वारा विवादित आराजी में किये गये कच्चे पक्के निर्माण को ध्वस्त कराया जाकर रेस्पोडेंटान को कारावास व शास्ती की सजा से दण्डित किया जाकर रेस्पोडेंटान व अन्य अतिक्रमण के खिलाफ धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट का कथन है कि तहसीलदार, अलवर ने रेस्पो0 को विवादित भूमि खसरा सं. 92, रकबा 0.19 है., ग्राम झारेड़ा से बेदखल करने का आदेश दिया, किन्तु रेस्पो0 को धारा 183–बी के अंतर्गत कारावास व शास्ति की सजा नहीं दी तथा उनके द्वारा किए गए कच्चे–पक्के निर्माण को ध्वस्त कराने का आदेश भी पारित नहीं किया।

पत्रावली का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि तहसीलदार, अलवर ने विवादित भूमि पर प्रार्थी की खातेदारी अधिकार को स्वीकार किया है तथा रेस्पो0 को अतिक्रमी मानते हुए उन्हें बेदखल करने का आदेश पारित किया है। जहाँ तक अपीलाण्ट द्वारा रेस्पो0 को कारावास व शास्ति दण्ड देने एवं निर्माण ध्वस्त कराने की मांग का प्रश्न है, तो इस संबंध में विद्वान तहसीलदार अलवर द्वारा प्रस्तुत आदेश में पर्याप्त विधिक विवेचना की गई है और उक्त आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगत नहीं होती। किन्तु, रेस्पो0 एवं अन्य अवैध कब्जाधारियों द्वारा किए गए अवैध बेचान एवं कब्जों के संबंध में धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पृथक कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, अलवर द्वारा दिनांक 28.07.2020 को पारित मूल आदेश को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेण्ट्स एवं अन्य अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत पृथक से कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)